न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 78/2014 दायर तारीख : 10.04.14

1. मोहन पुत्र स्व0 रेखाराम जाति कुम्हार नि0 खण्डेल तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

—— वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र स्व0 गणेश
2. दिनेश पुत्र स्व0 गणेश
3. सुन्दरदेवी पत्नि स्व0 मानाराम
4. मंगलाराम पुत्र स्व0 मानाराम
5. बोदूराम पुत्र स्व0 मानाराम
6. श्योजीराम पुत्र स्व0 मानाराम
7. नन्दाराम पुत्र स्व0 मानाराम,
8. लालाराम पुत्र स्व0 मानाराम
9. लाडादेवी पुत्री स्व0 मानाराम
10. गीधा पुत्र स्व0 रेखाराम
11. छोटू पुत्र स्व0 पूराराम
12. दाखादेवी पत्नि छोटूराम
    समस्त जाति कुम्हार नि0 खण्डेल तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
13. एस0बी0बी0जे0 शाखा फुलेरा जरिये मैनेजर
14. तहसीलदार फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थित :— श्री योगेश कुमार शुक्ला अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी
श्री लालचन्द कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थीगण सं0 1 व 2
पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :— 22-8-17

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 1 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त वाद विभाजन का प्रस्तुत करने के पश्चात् वादी को जिस नामान्तकरण सं0 175 के द्वारा खातेदारी दी गई थी उसको न्यायालय द्वारा अपील उनवानी कैलाश बनाम ग्राम पंचायत को स्वीकार कर दिनांक 20.07.17 को निर्णय पारित कर नामान्तकरण सं0 175 निरस्त कर रिकोर्ड से वादी का नाम हजफ कर दिया है। इस कारण अन्य वादी उक्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार नहीं रहा है जिसको उक्त आराजी के विभाजन का वाद संधारण करने का कोई कानूनी अधिकार

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

प्राप्त नहीं है तथा इस वाद का वाद कारण समाप्त हो चुका है इस कारण वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

3. अप्रार्थी/वादी का जवाब रहा कि उक्त आदेश के विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 20.03.18 में निगरानी उनवानी मोहन उर्फ मूना बनाम ग्राम पंचायत खण्डेल निगरानी सं0 1925/2018 पेश कर दी है। जिसमें कानूनी बिन्दू निहित होने के कारण स्थगन आदेश पारित किया है। जिसका नोट तहसील व राजस्व में अंकित किया जा चुका है व पत्रावली को तलब की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चैलेन्ज दिया जा चुका है। जो मामला व कानूनी बिन्दू माननीय राजस्व मण्डल के सामने विचाराधीन है। प्रतिवादी का वादकारण निरन्तर जारी है वाद चलाने संधारण करने का पूरा कानूनी अधिकार प्रतिवादी को है मौके पर आज भी 1/3 हिस्सा भूमि पर जो विरासत में मोहन को प्राप्त हुआ है प्रतिवादी मोहन को उस पर भौतिक रूप से काबिज है। प्रार्थी वादी का प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। धारा 12 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम इस सम्बन्ध में विधि का दत्तक पुत्र के अधिकारों के सम्बन्ध में सिंद्वात है कि किसी व्यक्ति में सम्पति में निहित अधिकार है तो दत्तक चले जाने के पश्चात् भी यह अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। इस तथ्य माननीय सिविल न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक द्वारा कैलाश बनाम मोहन के घोषण स्थाई निषेधाज्ञा के वाद व टी0आई0 प्रा0पत्र में निर्धारित करते हुए दिनांक 11.07.13 को कैलाश बनाम मोहन का प्रा0पत्र खारिज फरमा दिया गया व इसके पश्चात् वादी ने स्वंय का केस खारिज करवा लिया यहा वादी कैलाश ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को छिपा कर प्रा0पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 का खारिज किये जाने योग्य है।

4. वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी संवत् 2071–74 पेश की है तथा वादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा0पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रेवन्यू बोर्ड क स्थगन प्रति, मिल तलबी फोटो प्रति, सिविल कोर्ट सांभरलेक की खारिज कैलाश बनाम मोहन की प्रतिया पेश की है।

5. बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने उक्त वाद विभाजन का प्रस्तुत करने के पश्चात् वादी को जिस नामान्तकरण सं0 175 के द्वारा खातेदारी दी गई थी उसको न्यायालय द्वारा अपील उनवानी कैलाश बनाम ग्राम पंचायत को स्वीकार कर दिनांक 20.07.17 को निर्णय पारित कर नामान्तकरण सं0 175 निरस्त कर रिकोर्ड से वादी का नाम हजफ कर दिया है। इस कारण अन्य वादी उक्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार नहीं रहा है जिसको उक्त आराजी के विभाजन का वाद संधारण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा इस वाद का वाद कारण समाप्त हो चुका है

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

इस कारण वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 20.03.18 में निगरानी उनवानी मोहन उर्फ मूना बनाम ग्राम पंचायत खण्डेल निगरानी सं0 1925/2018 पेश कर दी है। जिसमें कानूनी बिन्दू निहित होने के कारण स्थगन आदेश पारित किया है। जिसका नोट तहसील व राजस्व मे अंकित किया जा चुका है व पत्रावली को तलब की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चैलेन्ज दिया जा चुका है। जो मामला व कानूनी बिन्दू माननीय राजस्व मण्डल के सामने विचाराधीन है। प्रतिवादी का वादकारण निरन्तर जारी है व वाद चलाने संधारण करने का पूरा कानूनी अधिकार प्रतिवादी को है मौके पर आज भी 1/3 हिस्सा भूमि पर जो विरासत में मोहन को प्राप्त हुआ है प्रतिवादी मोहन को उस पर भौतिक रूप से काबिज है। प्रार्थी वादी का प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया। वादी को जिस नामान्तकरण सं0 175 के द्वारा खातेदारी दी गई थी उसको न्यायालय द्वारा अपील उनवानी कैलाश बनाम ग्राम पंचायत को स्वीकार कर दिनांक 20.07.17 को निर्णय पारित कर नामान्तकरण सं0 175 निरस्त कर रिकोर्ड से वादी का नाम हजफ कर दिया है। इस कारण अन्य वादी उक्त आराजी का रिकोर्डेड खातेदार नहीं रहा है इसलिए उक्त वाद आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया जाता है। इसलिए वाद आर्डर 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 जा0दी0 का स्वीकार किया जाकर वादी/अप्रार्थी का वाद आर्डर 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया जाता है।

निर्णय मजमा–ए–आम में दिनांक 24-8-19 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मुंड)
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner